



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

आम सूचना

क्रमांक: F-JDA/Zone 01/2025/D-1

आवेदक द्वारा ऑनलाईन आवेदन क्रमांक 206456 दिनांक 07/02/2025 को निम्नांकित भूखण्ड का Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी/लीजधारक का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स./ निजी खातेदारी/ जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
---------	--------------	--------------------------	---------------	------------------	--	--------------	-------------------------------	----------------------------------



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

1	SUNIL BHATLA S/o Late Amar Nath Bhatla एवं Aman Bhatla S/o Sanjay Bhatla	श्री अमरनाथ भाटला पुत्र स्व. श्री रामजी दास भाटला	C23	196.71 SQ. YARD	Cooperative	ASHOK VIHAR	Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta)	1. सहकारी समिति द्वारा दिनांक 05.07.1981 को जारी आवंटन पत्र । 2 श्री अमरनाथ जी का देहान्त दिनांक 30.01.2004 तथा उनके एक भाई श्री संजय 3. भाटला का दिनांक 29.10.2022 का मृत्यु प्रमाण पत्र। 4. पारिवारिक सजरा (श्री अमरनाथ के पत्नी एवं 2 पुत्र तथा मृतक पुत्र के पत्नी एवं 2 पुत्र)। 5.दिनांक 07.01.2025 का पंजीकृत हकत्याग पत्र (श्री सुनील कुमार भाटला पुत्र स्व. श्री अमरनाथ भाटला एवं श्री अमन भाटला पुत्र स्व. श्री संजय भाटला के पक्ष में हकत्याग किया गया।)
---	--	---	-----	--------------------	-------------	----------------	---	---



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में Issue of [Lease/ Free Hold] Deed (Patta) जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर jda.rajasthan.gov.in पर जाकर Objection module के माध्यम से आपत्ति online सबमिट करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की नियमानुसार कार्यवाही कर दी जावेगी।

प्रतिलिपि:-

1. SUNIL BHATLA S/o Late Amar Nath Bhatla एवं Aman Bhatla S/o Sanjay Bhatla को उक्त विज्ञप्ति 8 फोन्ट साईज में राज्य स्तरीय समाचार पत्र में से एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित करवाकर प्रति अपलोड करें।
2. रक्षित पत्रावली।

नोट :-

कृपया उक्त विज्ञप्ति के प्रारूप का राज्य स्तरीय समाचार-पत्र (प्रतिदिन प्रकाशन न्यूनतम 50,000 प्रतियाँ) में प्रकाशन करावे। प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस पचशत समाचार-पत्र के जिस पेज पर विज्ञप्ति प्रकाशित हुयी हैं, उस पूरे पेज की स्पष्ट स्कैन प्रति, जिसमें प्रकाशन की तारीख, समाचार-पत्र का नाम, पेज संख्या व विज्ञप्ति दिखाई दे, ऑनलाइन अपलोड करें तथा समाचार-पत्र की भौतिक (physical) प्रति कार्यालय में प्रस्तुत ना करें।